

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 16/2021

प्रार्थीगण :-

1. सुजाराम पुत्र गुमनाराम सैन, नि० बालोतरा
 2. वैनाराम पुत्र रुगाराम जाट, नि० नयाणा ताल कनौठ
 3. कानसिंह पुत्र वंदनसिंह जाति राजपूत निवासी आसाका, तहसील पचपदरा जिला - बाढ़मेर
- बनाम

विप्राथी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आरटी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपरिस्थिति:- 1. श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थीगण दकील

2. परोकार सरकार जरिये उप तहसीलदार जसोल

आदेश

दिनांक - 16.4.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटी.ए. एक्ट का विप्राथी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा सिंधिया की ढाणी, तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण की खातेदारी खेत की भूमि क बंदिशा उत्तर में कटाण रास्ता खसरा संख्या 1648/26 में आया हुआ है, इसलिये प्रार्थीगण सं. 01 अपन खातेदारी खेत खसरा न० 1523/1011, व प्रार्थीगण सं. 02 व 03 अपन खातेदारी खेत खसरा न० 1524/1011 से कटाण मार्ग खसरा न० 168/26 की भूमि तक गवागमन करने हेतु विप्राथी के खातेदारी खेत खसरा न० 1010/12 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/560 दिनांक 15.03.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 में जाहिर किया गया कि मौजा सिंधिया की ढाणी के खेत खसरा न० 1523/1011, 1524/1011, खातेदारी भूमि है जिस- आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा खसरा न० 1010/12 किस्म बा० दो० बिल कब्जा मुमकिन दर्ज है म से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है मौके पर खाली एवं विवादरहित है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर 392042/रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 19 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि बनती है।

प्रार्थीगण एवं राजकीय परोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा परोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का महसूस से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



अनुसार एव तहसीलदार पंचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका एव रेकार्ड से जांच की गई न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सिधियों की ढाणी के खेत खसरा न० 1523/1011, 1524/1011, बीघा हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1010/12 में से संभव है। खसरा संख्या 1010/12 वर्तमान में बिला कब्जा मुमकिन भूमि है जिसका जमाबंदी अनुसार मूल रकबा 5.07 बीघा किरम बा दोगम है। इस रास्ते की कुल लम्बाई 108 गटा है। 30 फीट चौड़ाई के आधार पर कुल रकबा 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी (26730 वर्ग फीट) रास्ता के प्रयोजनार्थ रहता है। भूमि की वर्तमान की डी.एल.सी दर रुपये 3,92,040 (अक्षर रुपये तीन लाख बरानवे हजार) प्रति बीघा है। प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा मानचित्र पुस्त पर अंकित अनुसार है। बुकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु रास्ता एक मात्र विकल्प है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। बुकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु वाहा गया है। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। परोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पंचपदरा से प्राप्त मौके की स्थिति अनुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है तौ उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा सिधियों की ढाणी, के खेत खसरा न० - 1523/1011, 1524/1011 में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खसरा न० 1010/12 मौजा सिधियों की ढाणी में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरग लाल, के अनुसार 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 3,92,040 /- प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी भूमि की राशि 3,85,200 रुपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रुपये 7,70,400/- रुपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पंचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पंचपदरा नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 में प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पठा जाए।



(निदेश सूनी)
उप सचिव
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप सचिव
(S.D.O.) बालोतरा
बालोतरा